झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 07.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्री नलिन सोरेन स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0	THE COVERNMENT OF INDIA (SCHEDULED CASTES) ORDER, 1936 (The Gazette of India, June 6, 1936)" में संलग्न अनुसूची के खंड- VI बिहार के अंश- 2 पलामू जिला की जाति सूची में CNTACT-1908 की जाति सूची में विधि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 11 अगस्त 1950 को The Constitution (Schedule Castes) Order-1950 गजट के प्रस्ताव के जाति सूची (Bihar State) सभी सूचियों में **भोगता जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है।** वर्ष- 2011 में प्रकाशित जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड राज्य में ''भोगता'' अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2,23,453 दर्शाया गया है, साथ ही नीति आयोग द्वारा भी वर्ष 2013 में मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर अनुसूचित जाति की श्रेणी में भोगता जाति को रखा गया। अनुसूचित जाति की संख्या में भोगता जाति की बहुतायत संख्या लातेहार और चतरा जिला में है। 1985 से लगातार चतरा विधान सभा में भोगता-	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		जाति का प्रतिनिधित्व होता रहा है। इन्हीं क्षेत्रों में इन दो जिलों में विधान सभा की सीटें एवं त्रिस्तरीय पंचायत समिति के भी अधिकांश सीटें अनूसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं जिसके कारण अधिकांश सीटों पर भोगता जाति को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। बिना स्थलीय और धरातलीय सच्चाई को जाने भोगता जाति की इच्छाओं के विपरीत भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में भोगता जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु संविधान संशोधन का प्रस्ताव राज्य सभा में रख दिया गया है जिसके कारण भोगता जाति के लोगों में काफी आक्रोश है। उक्त संशोधन के बाद भोगता जाति का प्रतिनिधित्व न तो विधान सभा में और ना ही त्रिस्तरीय पंचायत में रह पाएगा। अतः अविलम्ब राज्य सरकार विधान सभा से सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों से भारत सरकार को अवगत कराये एवं संविधान संशोधन वापस लेने हेतु आग्रह किया जाय ताकि राज्य के दबे कुचले भोगता वर्ग के अस्तित्व को बचाया जा सकें। अतएव उक्त महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	
02–	श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0 श्री समरी लाल स0वि0स0	राज्य सरकार राज्य के सभी सेवा संवर्गो को 5वें छठें एवं 7वें वेतनमान का लाभ दे चुकी है, परन्तु हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अबतक उक्त सभी वेतनमान के लाभ से वंचित रखा गया है जिसके कारण उक्त सभी शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को काफी कठिनाई हो रही है। साथ ही उक्त विश्वविद्यालय के कई शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी उक्त वेतनमान के अभाव में सेवानिवृत हो चुके है–	वित्त

कृ0पृ0उ0–

01.	02.	03.	04.
		तथा कईयों की मृत्यु हो चुकी है जिसके आश्रितों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल रहा है, परन्तु उक्त वेतनमान के अधीन नहीं जबकि उक्त सभी कर्मियों को उक्त सभी वेतनमान का लाभ देने के संबंध में सम्बंधित विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कई बार सरकार को पत्र भेजा है, परन्तु उक्त मामले के प्रति असंवेदनशील है। अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त गंभीर मामले की ओर आकृष्ट किया जाता है।	
03–	श्री सरयू राय स0वि0स0	झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 02/श्रमा0का0(BOCW ACT)– 04/201, श्र0नि0–1817, दिनांक– 09.10.2015 द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक श्रमिक मित्र की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसके आलोक में श्रमिक मित्रों को नियुक्ति हुई। पुनः अधिसूचना संख्या–02/श्रमा0का0(BOCWACT)–02/2017, श्र0नि0–251, दिनांक– 22.02.2021 में प्रत्येक पंचायत में एक श्रमिक मित्र की नियुक्ति करने का निर्णय हुआ, जिसकी प्रक्रिया जारी है तदुपरांत अधिसूचना संख्या– 02/श्रमा0का (BOCW)–02/2017, श्र0नि0–31, दिनांक– 06.01.2022 द्वारा 09.10.2015 की अधिसूचना की कंडिका–1 (V) की नियुक्ति प्रक्रिया में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके अनुसार पूर्व से चयनित वैसे श्रमिक मित्रों, जिन्होंने 3 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लिया हो, के स्थान पर नये श्रमिक मित्रों का चयन करने का प्रावधान किया गया। यानी पूर्व नियुक्त जिन श्रमिक मित्रों ने 3 वर्ष की अवधि पूरा किया है, उन्हें इस अधिसूचना से सेवामुक्त कर दिया गया। 3 वर्ष की सेवा अवधि पूरा कर चुके श्रमिक मित्रों ने 'कोविड' 'सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम' तथा सरकार के अन्य कई कार्यक्रमों में बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के मनोयोगपूर्वक कार्य किया। इसके बावजूद–	श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

01.	02.	03.	04.
		बिना कारण बताये उन्हे सेवा मुक्त करने का सरकार के निर्णय के पीछे एकमात्र यही कारण प्रतीत होता है कि पूर्व नियुक्त श्रमिक मित्रों ने सरकार के समक्ष उन्हें न्यनतम मजदूरी देने की मांग कर दी। उल्लेखनीय है कि झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– श्र0नि0–1817, दिनांक– 09.10.2015 और अधिसूचना संख्या– श्र0नि0–251, दिनांक– 22.02.2021 में 3 वर्ष की अवधि पूरा कर लेने के बाद हटा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अधिसूचना संख्या– श्र0नि0–31, दिनांक– 06.01.2022 द्वारा उन श्रमिक मित्रों, जिन्होंने 3 वर्ष की अवधि पूरा कर लिया है, को हटा दिये जाने का निर्णय वैधानिक प्रतीत नहीं हो रहा है। माननीय दृष्टिकोण से भी यह उचित नहीं है। उपर्युक्त विवरण के आलोक में सरकार की नाइंसाफी की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और मांग करता हूँ कि 3 वर्ष की अवधि पूरा कर चुके श्रमिक मित्रों की नियुक्ति बरकरार रखने और उन्हें न्यूनतम मजदूरी देने का निर्णय सरकार करे।	
04–	श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 श्री दीपक बिरूवा स0वि0स0 श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0	राँची टाटा NH-33 रोड निर्माण से पहले सन् 1955–58 में काँची सिंचाई परियोजना का नहर बना है जो सालगाडीह (तमाड़) से उलीडीह (तमाड़) तक एक मात्र सिंचाई का साधन है। इस नहर पर हजारों किसान आश्रित है। नहर की सुरक्षा हेतु WP (PIL) N0-6971/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची NHAI द्वारा शपथ पत्र दायर करते हुए नहर में अतिक्रमण की बात स्वीकार किया गया है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सालगाडीह से उलीडीह तक NHAI को अपना Road Alignment Shift करने को कहा है। इसके विपरित NHAI नहर की ओर Alignment Shift कर	पथ

कृ0पृ0उ0–

01.	02.	03.	04.
		दिया है। जिससे नहर का अस्तित्व ही समाप्त होने के कगार पर है। अतः व्यापक जनहित में सरकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर तथा न्यायिक आदेश की अवमानना न हो एवं माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के आदेश के अनुपालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई हेतु आसान के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हैं।	
05–	श्री नवीन जायसवाल स0वि0स0	सहारा परिवार लगभग 40 वर्षो से छोटे–छोटे लाखों दुकानदारों, रेहड़ी वालों खोमचे वालों एवं निम्न मध्यवर्गीय लोगों के घर–घर जाकर उनके धन निवेशित करने का काम कर रहे है जो लोगों के लिए एक निवेश करने का जरिया एवं अच्छा भुगतान वापसी का माध्यम है। वर्णित सभी लोग अपने मेहनत की कमाई का एक भाग सहारा कम्पनी में निवेश करते आ रहे है। इस कार्य हेतु सहारा कम्पनी के कर्मचारियों का जो घर–घर एवं दुकान जाकर निवेश कराने का काम बेहतर तरीके कार्य करते आ रहे है। परन्तु विगत 08 वर्ष पूर्व सहारा सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड) के आपसी विवाद के कारण देशभर के तमाम छोटे बड़े निवेशिकों के राशि भुगतान रुक गया है। एवं वर्षो से कार्य कर रहे सहारा कम्पनी के कर्मचारी पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गये है जिनसे सभी निवेशिकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः सदन के माध्यम से सहारा–सेबी की विवाद के कारण उत्पन्न उन तमाम छोटे–बड़े निवेशिकों द्वारा निवेश की राशि की भुगतान एवं बेरोजगार कर्मचारियों के हित के लिए हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा।	वित्त

राँची,
दिनांक– 07 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0–